रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 181] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 25, 1976/ज्येष्ठ 4, 1898
No. 181] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 25, 1976/JYAISTHA 4, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May 1976

G.S.R. 350(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

C.O. 104

THE CONSTITUTION (APPLICATION TO JAMMU AND KASHMIR) SECOND AMENDMENT ORDER, 1976

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 370 of the Constitution, the President, with the concurrence of the Government of the State of Jammu and Kashmir, is pleased to make the following Order:—

1. (1) This Order may be called the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Second Amendment Order, 1976.

(2) It shall come into force at once.

2. In paragraph 2 of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954,—

(1) in the opening portion, for the words, figures and brackets "and section 2 of the Constitution (Thirty-third Amendment) Act, 1974", the words, figures and brackets ", section 2 of the Constitution (Thirty-third Amendment)

Act, 1974 and sections 2, 5, 6 and 7 of the Constitution (Thirty-eighth Amendment) Act, 1975" shall be substituted;

(2) in clause (a) of sub-paragraph (13) (relating to PART XVIII), in new clause (4) of article 352, for the brackets and figure "(4)", the brackets and figure "(6)" shall be substituted.

FAKHRUDDIN ALI AHMED,
President.

[No. F. 19(2)/76-L.I]
K. K. SUNDARAM, Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 1976

सा० का० नि० 350(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

सं० आ० 104

संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) द्वितीय संशोधन आदेश, 1976

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 370 के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से निम्नलिखित आदेश करते है :—

1. (1) इस आदेश का नाम संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) द्वितीय संशोधन आदेश, 1976 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश 1954 के पैरा 2 में,—

(1) प्रारम्भिक भाग मे "और संविधान (तैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 2" शब्दों अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "संविधान (तैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 2 और संविधान (अड़तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 2, 5, 6 और 7" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

2. उप पैरा 13 के खण्ड (क) में, (जिसका सम्बन्ध भाग 18 से है) अनुच्छेद 352 के नए खण्ड (4) मे कोष्ठक और अंक "(4)" के स्थान पर, कोष्ठक और अंक "(6)" रखे जाएंगे ।

फखरुद्दीन अली अहमद,
राष्ट्रपति ।

[सं० फा० 19(2)/76-एल-1]
के० के० सुन्दरम्, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976